<u>न्यायालय: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी	:	डॉ. मनोज तिवारी(आर.जे.एस.)
नियमित फौजदारी प्र.सं.	:	1071/2018
सी.आई.एस.नम्बर	:	1071/2018
पुलिस थाना	:	सदर

राजस्थान राज्य

बनाम

गोपीलाल पुत्र मांगीलाल, उम्र 55 वर्ष, निवासी छापरदा, थाना गेण्डोली, जिला बून्दी(राज.) --अभियुक्त

<u>अपराध अन्तर्गत धारा-279, 304 ए भा.दं.सं.</u>

<u>उपस्थित:-</u>

(1) अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।

(2) श्री शिवराज डोई, श्री नारायण सिंह हाडा, अधिवक्ता अभियुक्त।

<u>:: निर्णय ::</u> **<u>दिनांक: 19.03.2026</u>**

1- प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 23.03.2018 को जीरो नम्बर एफ.आई.आर./मर्ग थाना अशोक नगर, जयपुर से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 09.03.2018 को समय 09:40 ए.एम. पर सूचना मिली कि महावीर पुत्र नरसीलाल, उम्र 19 वर्ष, निवासी बारवास, तहसील बून्दी, जो पूर्व में दिनांक 27.02.2018 को गांव में सड़क दुर्घटना में घायल होने पर उपचारार्थ पहले गोयल अस्पताल कोटा तथा पश्चात् रेफर होकर 01.03.2018 को एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर के पी.डब्ल्यू. वार्ड में भर्ती हुआ था, उसकी दिनांक 09.03.2018 को प्रातः 07:45 बजे इमरजेन्सी/आई.सी.यू. में मृत्यु हो गई। उसकी लाश मुर्दाघर एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर में रखी हुई थी। उक्त सूचना पर जीरो मर्ग कार्यवाही की गई तथा जरिये डाक मर्ग एफ.आई.आर., फर्द पंचायतनामा, रसीद सुपुर्दगी लाश, पोस्टमार्टम बाबत नकल तहरीर आदि थाना सदर बून्दी पर प्राप्त होने पर मर्ग नम्बर 09/2018 धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता में दर्ज कर जांच आरम्भ की गई। दौराने जांच निरीक्षण घटनास्थल किया गया, गवाहान नन्दकिशोर, हेमराज, नरसीलाल आदि के बयान लिये गये, अस्पताल संबंधी कागजात, मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रमाणित फोटो प्रति पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की गईं। मर्ग जांच में यह पाया गया कि वृद्धाश्रम, नैनवां रोड, बून्दी के सामने मोटरसाईकिल नम्बर आर.जे.08

एस.एम.6638 के चालक द्वारा टक्कर मारने से महावीर घायल हुआ तथा उपचार के दौरान उसकी मृत्यु एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर में हो गई। तत्पश्चात मामला अपराध धारा 279, 304ए भा.दं.सं. का पाया जाने पर मुकदमा नम्बर 145/2018 दर्ज कर तफ्तीश में वाहन को जप्त किया गया, मैकेनिक मुआयना करवाया गया, वाहन स्वामी को धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम का नोटिस दिया गया, चालक को नोटिस दिया गया तथा सम्पूर्ण अनुसंधान के उपरान्त अभियुक्त गोपीलाल पुत्र मांगीलाल के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2- बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को धारा-279, 304ए भा.दं.सं. के आरोप सारांश मौखिक रुप से सुनाये एवं समझाये गये, तो अभियुक्त द्वारा आरोपों को अस्वीकार किया गया और विचारण चाहा गया।

3- अभियोजन द्वारा अपने मामले को साबित करने हेतु गवाह पी.डब्ल्यू.-1 धर्मराज, पी.डब्ल्यू.-2 नन्दकिशोर, पी.डब्ल्यू.-3 हेमराज, पी.डब्ल्यू.-4 तेजमल, पी.डब्ल्यू.-5 गिरिराज मीणा, पी.डब्ल्यू.-6 सुरेन्द्र, पी.डब्ल्यू.-7 संजय मीणा, पी.डब्ल्यू.-8 नरसी, पी.डब्ल्यू.-9 रामपाल, पी.डब्ल्यू.-10 छोटूलाल, पी.डब्ल्यू.-11 सांवलराम, पी.डब्ल्यू.-12 चन्द्रप्रकाश, पी.डब्ल्यू.-13 डॉ. सुमंत दत्ता, पी.डब्ल्यू.-14 दुर्गाशंकर तथा पी.डब्ल्यू.-15 हवा सिंह को परीक्षित कराया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में फर्द पंचनामा प्रदर्श पी-1, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी-2, नक्शा मौका प्रदर्श पी-3, फर्द जब्ती मोटरसाईकिल प्रदर्श पी-4, मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी-5, गवाह गिरिराज का पुलिस बयान प्रदर्श पी-6, गवाह संजय का पुलिस बयान प्रदर्श पी-7, गवाह नरसी का पुलिस बयान प्रदर्श पी-8, अग्रेषण पत्र/विसरा संबंधी दस्तावेज प्रदर्श पी-10, धारा 133 एम.वी. एक्ट का नोटिस एवं जवाब प्रदर्श पी-11, मोटरसाईकिल सुपुर्दगी फर्द प्रदर्श पी-13, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-15, मर्ग एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-16 एवं पी-17, कायमी प्रकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी-18, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-19 को प्रदर्शित कराया गया।

4- प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा-313 दं.प्र.सं. के तहत किया गया, तो अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना तथा अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए कथन किया

कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है तथा उसके द्वारा कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

5- बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 27.02.2018 को सायं लगभग 05:00 से 05:30 बजे के बीच वृद्धाश्रम, नैनवां रोड, बून्दी के पास मोटरसाईकिल नम्बर आर.जे.08 एस.एम.6638 को लोकमार्ग पर उतावलेपन अथवा लापरवाही से चलाकर महावीर पुत्र नरसीलाल को टक्कर मार दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और उन्हीं चोटों के परिणामस्वरूप उपचार के दौरान दिनांक 09.03.2018 को उसकी मृत्यु हो गई ?

(2) यदि हाँ, तो अभियुक्त किस दण्ड से दण्डित किये जाने योग्य है ?

6- विद्वान अभियोजन अधिकारी ने बहस के दौरान यह निवेदन किया कि मर्ग जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वाहन की जब्ती, वाहन स्वामी के धारा 133 एम.वी. एक्ट के जवाब, अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य तथा गवाहान के कथनों से यह सिद्ध है कि मृतक महावीर की मृत्यु सड़क दुर्घटना में आई चोटों के कारण हुई तथा दुर्घटना में प्रयुक्त वाहन मोटरसाईकिल नम्बर आर.जे.08 एस.एम.6638 थी। वाहन स्वामी ने स्पष्ट रूप से अपने जवाब में यह लिखा कि घटना के समय वाहन अभियुक्त गोपीलाल चला रहा था, और अनुसंधान अधिकारी ने भी बताया कि अभियुक्त ने नोटिस के जवाब में स्वयं उक्त वाहन चलाना स्वीकार किया। प्रत्यक्षदर्शी गवाह पी.डब्ल्यू.-2 ने दुर्घटना होना बताया है, चिकित्सकीय साक्ष्य मृत्यु के कारण को दुर्घटना से आई चोटों से जोड़ता है, अतः अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पूर्णतः प्रमाणित है और उसे दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित होगा।

7- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता-अभियुक्त ने अभियोजन के उक्त तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अभियोजन की ओर से परीक्षित अधिकांश मुख्य गवाह प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं। गवाह पी.डब्ल्यू.-1 धर्मराज, गवाह पी.डब्ल्यू.-3 हेमराज, गवाह पी.डब्ल्यू.-5 गिरिराज, गवाह पी.डब्ल्यू.-7 संजय, गवाह पी.डब्ल्यू.-8 नरसी आदि सब घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थे। गवाह पी.डब्ल्यू.-2 नन्दकिशोर ने भी जिरह में स्पष्ट कहा कि उसने दुर्घटना करने वाले को नहीं देखा। कई गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। वाहन स्वामी का धारा 133 एम.वी. एक्ट का उत्तर स्वयं में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वह प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा पुलिस नोटिस के कथित

जवाब के आधार पर अभियुक्त की संलिप्तता सिद्ध नहीं की जा सकती। लापरवाही अथवा उतावलेपन का कोई ठोस प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, केवल दुर्घटना हो जाना धारा 279 या 304ए भा.दं.सं. के अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

8- उपरोक्त बिन्दु को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन, विवेचन और विश्लेषण किया जाये तो सर्वप्रथम यह देखना प्रासंगिक है कि अभियोजन की मूल कहानी किस प्रकार न्यायालय के समक्ष सिद्ध की गई है। गवाह पी.डब्ल्यू.-1 धर्मराज न्यायालय के समक्ष यह कहता है कि घटना सन् 2018 की है, घटना के समय वह जयपुर में नौकरी करता था, उसे हेमराज सरपंच का फोन आया कि उसके भाई महावीर का एक्सीडेंट हो गया है। उसने आगे कहा कि महावीर को बून्दी से कोटा और कोटा से जयपुर रेफर किया गया, वह स्वयं एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर पहुंचा, जहां 7-8 दिन तक उपचार चलता रहा और बाद में महावीर की मृत्यु हो गई। उसके सामने पुलिस ने लाश का पंचनामा बनाया तथा उसने शव प्राप्त किया। इसने फर्द पंचनामा प्रदर्श पी-1 तथा फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी-2 पर अपने हस्ताक्षर सिद्ध किये। बाद में उसने पता लगाया कि महावीर और नन्दकिशोर वृद्धाश्रम के सामने जीप का इंतजार कर रहे थे, तभी एक मोटरसाईकिल नम्बर आर.जे.08 एस.एम.6638 के चालक ने तेज गति से टक्कर मार दी और बाद में चालक का नाम गोपीलाल मालूम हुआ। किन्तु जिरह में इस गवाह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया कि घटना के समय वह घटनास्थल पर नहीं था, वह जयपुर में था, दुर्घटना कैसे हुई तथा किसकी गलती से हुई इसकी उसे कोई जानकारी नहीं, मोटरसाईकिल का नम्बर उसने स्वयं नहीं देखा और नम्बर किसी अन्य व्यक्ति ने उसे बताया। इस प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू.-1 की साक्ष्य से मृत्यु के उपरांत की कार्यवाही तथा अस्पताल संबंधी तथ्य तो कुछ सीमा तक सिद्ध होते हैं, परन्तु दुर्घटना की वास्तविक विधि, वाहन चालक की पहचान अथवा अभियुक्त की लापरवाही का तथ्य उसके कथन से सिद्ध नहीं होता।

9- गवाह पी.डब्ल्यू.-2 नन्दकिशोर ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि सन् 2018 की घटना है, शाम के 5-5:30 बजे थे, वह और महावीर काम करके घर की तरफ जा रहे थे तथा वृद्धाश्रम गेट नम्बर 09 के पास

खड़े थे। तभी बून्दी की तरफ से एक मोटरसाईकिल चालक आया और महावीर को टक्कर मार दी। यह भी कहा कि वह महावीर को संभालने लगा, बाइक वाला बाइक छोड़कर भाग गया, हेमराज सरपंच ने मोटरसाईकिल के नम्बर देखे, वह महावीर को बून्दी अस्पताल ले आया और घर वालों को फोन किया। इस गवाह ने नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 पर अपने हस्ताक्षर भी सिद्ध किये। किन्तु जिरह में इस गवाह ने ऐसे महत्वपूर्ण कथन किये हैं जो उसकी साक्ष्य को गंभीर रूप से दुर्बल बनाते हैं। इसने स्वीकार किया कि उसने स्वयं दुर्घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं कराई। सबसे महत्वपूर्ण यह कि उसने स्पष्ट कहा कि उसने एक्सीडेंट करने वाले को नहीं देखा था। यह कथन अत्यन्त निर्णायक है, क्योंकि अभियोजन को यह सिद्ध करना था कि दुर्घटना कारित करने वाला चालक अभियुक्त गोपीलाल ही था। यदि प्रत्यक्षदर्शी कह रहा है कि उसने चालक को नहीं देखा, तब अभियुक्त की पहचान का प्रश्न अभियोजन के लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि घटना की तारीख उसे याद नहीं, मृत्यु कितने दिन बाद हुई यह भी उसे ज्ञात नहीं, पुलिस ने नक्शा मौका जिस समय बनाया उस समय वह घटनास्थल पर नहीं था और उसके हस्ताक्षर मौके पर न होकर बाद में करवाये गये। इन परिस्थितियों में गवाह पी.डब्ल्यू.-2 की साक्ष्य से केवल इतना स्थापित होता है कि महावीर के साथ कोई दुर्घटना हुई थी, परन्तु यह साक्ष्य अभियुक्त की निश्चित पहचान और उसके द्वारा वाहन को लापरवाही से चलाने के तथ्य को संदेह से परे स्थापित नहीं करती।

10- गवाह पी.डब्ल्यू.-3 हेमराज की साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो इसने मुख्य परीक्षण में कहा कि सन् 2018 की बात है, शाम के लगभग 5:30 बजे नैनता रोड वृद्धाश्रम के पास की घटना है, वह बहादुर सिंह सर्किल के पास खड़ा था तभी महावीर के पिता का फोन आया कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। इस पर वह भागकर मौके पर गया, जहां भीड़ एकत्र हो रही थी। उसने महावीर को ऑटो में डालकर बून्दी अस्पताल लाने की बात कही तथा कहा कि साइड में मोटरसाईकिल नम्बर आर.जे.08 एस.एम.6638 पड़ी थी और पब्लिक ने बताया कि इसी से एक्सीडेंट हुआ था। इसने नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 तथा फर्द जब्ती प्रदर्श पी-4 पर अपने हस्ताक्षर सिद्ध किये। किन्तु जिरह में इसने स्वीकार किया कि वह दुर्घटना के समय घटनास्थल पर नहीं था, दुर्घटना होने के लगभग 10 मिनट बाद पहुंचा,

उसने दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाईकिल को न तो चलते देखा और न ही किसी व्यक्ति को चलाते हुए देखा। इसने यह भी कहा कि घटना उसने स्वयं नहीं देखी, यह भी ज्ञात नहीं कि चालक वहां से भागा या नहीं, लोगों ने कहा कि इस बाइक से एक्सीडेंट हुआ था। जिरह के उत्तरों से यह भी प्रकट होता है कि उसका कथन मूलतः पब्लिक से सुनी हुई बातों पर आधारित है। ऐसी साक्ष्य अभियुक्त की दोषसिद्धि का स्वतंत्र और विश्वसनीय आधार नहीं बन सकती।

11- गवाह पी.डब्ल्यू.-4 तेजमल एक औपचारिक प्रकृति का गवाह है, जिसने दिनांक 12.04.2018 को जप्तशुदा मोटरसाईकिल नम्बर आर.जे.08 एस.एम.6638 का मैकेनिकल मुआयना किया और रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 सिद्ध की। इसने कहा कि मोटरसाईकिल पूरी चालू हालत में थी तथा उसमें कोई आन्तरिक खराबी नहीं पाई गई। जिरह में भी यही कहा कि मोटरसाईकिल चालू हालत में थी। यह साक्ष्य अधिक से अधिक इतना दर्शाती है कि वाहन में कोई यांत्रिक दोष नहीं था। परन्तु किसी यांत्रिक दोष का न होना अपने आप में यह सिद्ध नहीं करता कि वाहन अभियुक्त ही चला रहा था, या वह वाहन उतावलेपन अथवा लापरवाही से चलाया गया था। धारा 279 एवं 304ए भा.दं.सं. के लिए जो मूल तत्व आवश्यक हैं, वे चालक की पहचान और उसका **rash** अथवा **negligent act** हैं; मैकेनिकल रिपोर्ट इन दोनों बिन्दुओं पर अभियोजन को ठोस सहायता प्रदान नहीं करती।

12- गवाह पी.डब्ल्यू.-5 गिरिराज मीणा, जो मृतक का साला बताया गया है, ने केवल इतना कहा कि दिनांक 27.02.2018 को उसके साले का बून्दी में एक्सीडेंट हुआ, फोन आने पर वह बून्दी अस्पताल पहुंचा, वहां से गोयल अस्पताल कोटा और फिर एस.एम.एस. हॉस्पिटल जयपुर में भर्ती कराया गया, जहां दिनांक 09.03.2018 को उसकी मृत्यु हो गई। उसने पंचनामा प्रदर्श पी-1 पर अपने हस्ताक्षर सिद्ध किये, परन्तु स्पष्ट कहा कि घटना कैसे हुई इसकी जानकारी उसे नहीं है। अभियोजन के निवेदन पर इसे पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन जिरह में भी इसने पुलिस को बयान देना स्वीकार नहीं किया और यह भी कहा कि उसे यह जानकारी नहीं कि महावीर का एक्सीडेंट मोटरसाईकिल से हुआ हो। इस प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू.-5 की साक्ष्य से अभियोजन को दुर्घटना के वास्तविक कारण, वाहन अथवा चालक की पहचान के संबंध में कोई सहायता प्राप्त नहीं होती।

13- गवाह पी.डब्ल्यू.-6 सुरेन्द्र तथा गवाह पी.डब्ल्यू.-9 रामपाल

दोनों केवल पंचनामा संबंधी औपचारिक गवाह हैं। दोनों ने अपने-अपने सामने पुलिस द्वारा महावीर की लाश का पंचनामा बनाना बताया और प्रदर्श पी-1 पर अपने हस्ताक्षर सिद्ध किये। इनके कथनों से मात्र मृत्यु उपरांत की कार्यवाही सिद्ध होती है। ये न तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, न ही दुर्घटना की विधि, वाहन की पहचान या चालक की पहचान पर कोई प्रकाश डालते हैं। इसलिए इनकी साक्ष्य से अभियोजन का मुख्य आरोप सिद्ध नहीं होता।

14- गवाह पी.डब्ल्यू.-7 संजय मीणा ने कहा कि वर्ष 2018 में उसके भाई महावीर का एक्सीडेंट हुआ, वह जयपुर अस्पताल गया, एक्सीडेंट के 9 दिन बाद महावीर की मृत्यु हो गई, जिसकी लाश का पंचनामा पुलिस ने बनाया। इसने प्रदर्श पी-2 पर अपने हस्ताक्षर सिद्ध किये और मुख्य परीक्षण में यह भी कहा कि महावीर गांव की तरफ आ रहा था तथा नवजीवन कॉलोनी वृद्धाश्रम के सामने मोटर साइकिल से एक्सीडेंट हो गया था। किन्तु अभियोजन के निवेदन पर इसे पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की गई। अभियोजन जिरह में इसने कहा कि उसने पुलिस को बयान नहीं दिया, पुलिस बयान प्रदर्श पी-7 के अंश उसने नहीं लिखाये, जिस मोटरसाईकिल ने टक्कर मारी उसके नम्बर वह नहीं बता सकता क्योंकि वह घटनास्थल पर नहीं था, वह गोपीलाल को नहीं जानता तथा दुर्घटना कैसे हुई इसकी जानकारी नहीं है। यह कथन अभियोजन के लिए प्रतिकूल है। जो गवाह स्वयं कह रहा है कि वह घटनास्थल पर नहीं था और अभियुक्त को नहीं जानता, उसकी साक्ष्य से अभियुक्त की संलिप्तता स्थापित नहीं हो सकती।

15- गवाह पी.डब्ल्यू.-8 नरसी ने कहा कि 5-6 वर्ष पूर्व महावीर का एक्सीडेंट हुआ, उसे फोन आया, वह बून्दी अस्पताल गया, फिर मृतक को कोटा और जयपुर रेफर किया गया, नौ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसने नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 पर अपने हस्ताक्षर सिद्ध किये, परन्तु कहा कि वह घटना के बारे में नहीं बता सकता। अभियोजन के निवेदन पर इसे भी पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की गई, जिसमें इसने पुलिस को बयान देना अस्वीकार किया, गोपीलाल को नहीं जानने की बात कही तथा स्पष्ट कहा कि वह घटनास्थल पर नहीं था। बचाव जिरह में भी इसने यही कहा कि घटना की सूचना फोन पर मिली थी, वह बाद में अस्पताल गया, दुर्घटना कैसे हुई इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। अतः यह साक्ष्य भी अभियोजन के लिए सहायक नहीं है।

16- गवाह पी.डब्ल्यू.-10 छोटूलाल ने केवल यह कहा कि लगभग 6

वर्ष पूर्व एक मोटरसाईकिल हीरो होण्डा उसके सामने पुलिस ने जब्त की थी, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी-4 है और उस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह में इसने कहा कि मृतक उसका रिश्तेदार था और मोटरसाईकिल थाने में जब्त की गई थी। यह भी केवल औपचारिक जब्ती गवाह है, जो दुर्घटना के वास्तविक स्वरूप या अभियुक्त की पहचान के संबंध में कुछ भी नहीं कहता।

17- गवाह पी.डब्ल्यू.-11 सांवलराम ने कहा कि दिनांक 23.04.2018 को मर्ग नम्बर 09/2018 तथा एफ.आई.आर. नम्बर 145/2018 में एक जार विसरा जमा कराने मेडिकल कॉलेज कोटा गया था। इसने अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-10 सिद्ध किया तथा कहा कि अगले दिन माल जमा कराकर रसीद लाकर थानाधिकारी को सुपुर्द की। जिरह में इसने स्वीकार किया कि कोटा जाने की नकल रपट आमद-रवानगी पत्रावली में संलग्न नहीं है और सैम्पल प्राप्ति बाबत मालखाना रजिस्टर की प्रति भी पत्रावली में नहीं है। यह साक्ष्य भी औपचारिक है और मुख्य आरोप से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखती।

18- गवाह पी.डब्ल्यू.-12 चन्द्रप्रकाश वाहन स्वामी है। इसने मुख्य परीक्षण में कहा कि दिनांक 12.04.2018 को पुलिस वालों ने उसकी मोटरसाईकिल आर.जे.08 एस.एम.6638 जब्त की, उसे धारा 133 एम.वी. एक्ट का नोटिस दिया गया जो प्रदर्श पी-11 है और उसके जवाब में उसने यह लिखा कि घटना के दिन उसके वाहन को गोपीलाल चला रहा था। इसने फर्द सुपुर्दगी मोटरसाईकिल प्रदर्श पी-13 पर अपने हस्ताक्षर भी सिद्ध किये। प्रथम दृष्ट्या यह साक्ष्य अभियोजन के लिए महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाहन स्वामी का उत्तर है। किन्तु जिरह में इस गवाह ने कहा कि गोपीलाल उसके पास आता-जाता रहता था और इसी कारण वह उसे जानता है, वह न्यायालय में टाइपिस्ट का काम करता है, गाड़ी उसी की थी और दिनांक 22.02.2018 को गोपीलाल गाड़ी लेकर कहां गया था इसकी उसे जानकारी नहीं। यह गवाह स्वयं दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। उसने यह नहीं कहा कि उसने अपने समक्ष घटना के समय गोपीलाल को वाहन चलाते देखा। अतः उसका धारा 133 एम.वी. एक्ट का उत्तर एक सूचना मात्र है, प्रत्यक्षदर्शी पहचान नहीं। ऐसे उत्तर की साक्ष्यात्मक मूल्यवत्ता तब बढ़ सकती थी जब इसे किसी स्वतंत्र प्रत्यक्ष साक्ष्य से पुष्ट किया जाता; किन्तु अभिलेख पर ऐसा कोई पुष्टिकरण उपलब्ध नहीं है।

19- गवाह पी.डब्ल्यू.-13 डॉ. सुमंत दत्ता ने दिनांक 09.03.2018 को एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर में मृतक महावीर मीणा का पोस्टमार्टम

करना बताया। इसने कहा कि मृतक 01.03.2018 को भर्ती हुआ था और 09.03.2018 को 07:45 ए.एम. पर उपचार के दौरान मृत्यु हुई। इसने मृत्यु का कारण शॉक बताया, जो गर्दन की हड्डी, मेरूदण्ड की चोटों तथा दाहिने ऊपरी भुजा के अस्थिभंग के परिणामस्वरूप हुआ। इसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-15 सिद्ध की। जिरह में इसने कहा कि चोटें 9-10 दिन पुरानी थीं। चिकित्सकीय साक्ष्य से यह तथ्य दृढ़तापूर्वक सिद्ध होता है कि महावीर की मृत्यु गंभीर चोटों के कारण हुई। परन्तु यह चिकित्सकीय साक्ष्य अपने आप में यह सिद्ध नहीं करती कि उक्त चोटें अभियुक्त द्वारा चलाये गये वाहन की टक्कर से ही आईं, जब तक कि चालक की पहचान और दुर्घटना का कारण विश्वसनीय साक्ष्य से स्थापित न हो।

20- गवाह पी.डब्ल्यू.-14 दुर्गाशंकर अनुसंधान अधिकारी है। इसने मर्ग एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-16 एवं पी-17, कायमी प्रकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी-18, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-19, नक्शा मौका प्रदर्श पी-3, फर्द जब्ती प्रदर्श पी-4, धारा 133 एम.वी. एक्ट नोटिस और जवाब प्रदर्श पी-11 आदि दस्तावेज के सम्बन्ध में कथन किया है। साथ ही कथन किया है कि वाहन स्वामी ने जवाब में गोपीलाल को चालक बताया और इसके बाद अभियुक्त गोपीलाल को भी नोटिस दिया गया, जिसके जवाब में उसने स्वयं वाहन चलाना बताया। सम्पूर्ण तफ्तीश से अभियुक्त के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया। जिरह में स्वीकार किया कि प्रारम्भ में मर्ग एफ.आई.आर. धारा 174 दं.प्र.सं. में दर्ज हुई थी, जयपुर से प्राप्त जीरो मर्ग पर थाना सदर में मर्ग दर्ज हुई, घटना के संबंध में तत्काल कोई नियमित नामजद एफ.आई.आर. थाना सदर में दर्ज नहीं हुई थी और कोई तहरीरी रिपोर्ट फरियादी द्वारा तत्काल थाना पर पेश नहीं की गई थी। अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन की पूरी कड़ी मुख्यतः मर्ग जांच, बाद की तफ्तीश और धारा 133 एम.वी. एक्ट के उत्तरों पर आधारित है। किन्तु विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि अनुसंधान अधिकारी का यह कथन कि अभियुक्त ने पुलिस नोटिस के जवाब में स्वयं वाहन चलाना बताया, तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जब वह कानूनन ग्राह्य हो और स्वतंत्र साक्ष्य से पुष्ट भी हो। केवल अनुसंधान अधिकारी की मौखिक गवाही, बिना स्वतंत्र पुष्टिकरण के, अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार नहीं बन सकती, विशेषकर तब जबकि कोई प्रत्यक्षदर्शी अभियुक्त की पहचान नहीं कर रहा।

21- गवाह पी.डब्ल्यू.-15 हवा सिंह ने जयपुर में मुर्दाघर एस.एम.एस. पर पंचायतनामा करना, पोस्टमार्टम पश्चात शव सुपुर्द करना तथा प्रदर्श पी-1 और प्रदर्श पी-2 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। यह भी औपचारिक गवाह है। इसकी साक्ष्य से भी मृत्यु उपरांत कार्यवाही सिद्ध होती है, परन्तु दुर्घटना के वास्तविक कारक तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता।

22- उपरोक्त समस्त अभियोजन साक्ष्य के समग्र अवलोकन से यह तथ्य तो निर्विवाद रूप से स्थापित होता है कि महावीर को सड़क दुर्घटना में गंभीर चोटें आईं, उसका उपचार बून्दी, कोटा और तत्पश्चात् जयपुर में हुआ तथा अंततः दिनांक 09.03.2018 को उसकी मृत्यु हो गई। गवाह पी.डब्ल्यू.-13 डॉ. सुमंत दत्ता की पोस्टमार्टम साक्ष्य तथा प्रदर्श पी-15 से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि मृत्यु का कारण शॉक था, जो गर्दन, मेरूदण्ड तथा दाहिने ऊपरी भुजा की चोटों के परिणामस्वरूप हुआ। अतः मृत्यु का तथ्य तथा मृत्यु का चिकित्सकीय कारण सिद्ध है। इसी प्रकार औपचारिक गवाहों पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-5, पी.डब्ल्यू.-6, पी.डब्ल्यू.-7, पी.डब्ल्यू.-9, पी.डब्ल्यू.-15 आदि के कथनों तथा पंचायतनामा, सुपुर्दगी लाश और मर्ग कार्यवाही से यह भी स्पष्ट होता है कि घटना के बाद महावीर उपचाररत रहा और बाद में उसकी मृत्यु हुई। किन्तु धारा 279 एवं 304ए भा.दं.सं. में दोषसिद्धि के लिए केवल इतना स्थापित होना पर्याप्त नहीं है कि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हुई; अभियोजन को इससे आगे बढ़कर यह सिद्ध करना अनिवार्य है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन अभियुक्त ही चला रहा था तथा वह वाहन ऐसे **rash** या **negligent** तरीके से चलाया गया जो आपराधिक दायित्व को आकर्षित करता हो। यही इस प्रकरण का केंद्रीय प्रश्न है।

23- यहाँ यह स्मरणीय है कि आपराधिक न्यायशास्त्र में अभियोजन पर यह कठोर भार होता है कि वह अभियुक्त का अपराध संदेह से परे सिद्ध करे। संदेह, अनुमान, आशंका या प्रबल संभावना के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। आपराधिक मामलों में यदि साक्ष्य से युक्तिसंगत संदेह उत्पन्न होता है तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना विधि का अनिवार्य परिणाम है। यही स्वर्णिम सिद्धांत धारा 279 और 304ए जैसे अपराधों पर भी समान रूप से लागू होता है।

24- अभियोजन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कड़ी चालक की पहचान है। यदि यह कड़ी संदेहास्पद रह जाती है, तो संपूर्ण अभियोजन कथा का आधार दुर्बल हो जाता है। गवाह पी.डब्ल्यू.-2 नन्दकिशोर को अभियोजन ने

घटनास्थल का मुख्य गवाह बताया, परन्तु इसी गवाह ने जिरह में स्पष्ट कह दिया कि उसने एक्सीडेंट करने वाले को नहीं देखा। यह कथन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जब कथित प्रत्यक्षदर्शी स्वयं चालक को नहीं देखता, तब अभियुक्त को उसी चालक के रूप में चिन्हित करना अत्यंत कठिन हो जाता है। गवाह पी.डब्ल्यू.-3 हेमराज ने भी यह स्वीकार किया कि वह दुर्घटना के लगभग 10 मिनट बाद पहुँचा, उसने मोटरसाईकिल को चलते हुए नहीं देखा, किसी व्यक्ति को चलाते हुए नहीं देखा, और उसका कथन भीड़ से प्राप्त सूचना पर आधारित था। गवाह पी.डब्ल्यू.-1 धर्मराज, गवाह पी.डब्ल्यू.-5 गिरिराज, गवाह पी.डब्ल्यू.-7 संजय तथा गवाह पी.डब्ल्यू.-8 नरसी सभी ने या तो स्पष्ट कहा कि वे घटनास्थल पर नहीं थे या घटना के तरीके के बारे में जानकारी से इंकार किया। इन परिस्थितियों में अभिलेख पर ऐसा कोई स्वतंत्र, प्रत्यक्ष, विश्वसनीय नेत्रसाक्षी उपलब्ध नहीं है जो न्यायालय में अभियुक्त गोपीलाल की पहचान चालक के रूप में करता हो।

25- अब प्रश्न यह उठता है कि क्या चालक की पहचान धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम के नोटिस और उसके उत्तरों के आधार पर स्थापित मानी जा सकती है। गवाह पी.डब्ल्यू.-12 चन्द्रप्रकाश, जो वाहन स्वामी है, ने कहा कि उसने धारा 133 एम.वी. एक्ट के नोटिस के उत्तर में लिखा कि घटना के दिन वाहन गोपीलाल चला रहा था। गवाह पी.डब्ल्यू.-14 दुर्गाशंकर अनुसंधान अधिकारी ने भी कहा कि वाहन स्वामी के उत्तर के पश्चात अभियुक्त को नोटिस दिया गया और अभियुक्त ने उत्तर में स्वयं वाहन चलाना स्वीकार किया। किन्तु यहाँ विधिक दृष्टि से सूक्ष्म परीक्षण अपेक्षित है। प्रथम, वाहन स्वामी चन्द्रप्रकाश स्वयं दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है; उसने यह नहीं कहा कि उसने अपने समक्ष घटना के समय गोपीलाल को वाहन चलाते देखा। अतः उसका उत्तर प्रत्यक्षदर्शी पहचान नहीं है, बल्कि सूचना-आधारित कथन है। द्वितीय, अनुसंधान अधिकारी द्वारा पुलिस नोटिस के उत्तर के आधार पर अभियुक्त की कथित स्वीकृति का उल्लेख, पुलिस जाँच के दौरान प्राप्त कथन है, ऐसे कथन का मूल्यांकन अत्यंत सावधानी से किया जाना अपेक्षित है। तृतीय, जब तक इन उत्तरों की स्वतंत्र और विश्वसनीय प्रत्यक्ष साक्ष्य से पुष्टि न हो, इन्हें दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बनाना सुरक्षित नहीं माना जा सकता।

26- यह भी उल्लेखनीय है कि वाहन स्वामी के धारा 133 एम.वी. एक्ट के उत्तर का उद्देश्य सामान्यतः जांच में सहायता देना होता है, किन्तु

आपराधिक दोषसिद्धि का अंतिम मानदण्ड **beyond reasonable doubt** ही रहता है। ऐसा उत्तर एक परिस्थिति अवश्य हो सकता है, परन्तु यदि उससे आगे कोई स्वतंत्र पुष्टिकरण उपलब्ध नहीं है, तो न्यायालय को सावधान रहना पड़ता है। प्रस्तुत मामले में न तो कोई प्रत्यक्षदर्शी अभियुक्त की पहचान कर रहा है, न कोई ऐसी पहचान परेड हुई है, न कोई ऐसा स्वतंत्र वैज्ञानिक/परिस्थितिजन्य साक्ष्य है जो अभियुक्त को दुर्घटना के समय वाहन के साथ निर्णायक रूप से जोड़ दे। इसलिए धारा 133 के उत्तरों को अभियोजन की अंतिम और निर्णायक कड़ी मान लेना न्यायिक दृष्टि से सुरक्षित नहीं होगा।

27- धारा 279 एवं 304ए भा.दं.सं. के अपराध में केवल चालक की पहचान ही नहीं, बल्कि **rashness** या **negligence** का विधिसम्मत सिद्ध होना भी आवश्यक है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **State of Karnataka v. Satish**, (1998) 8 **SCC** 493 में स्पष्ट कहा कि मात्र यह कहना कि वाहन **high speed** में था, अपने आप में न तो **rashness** सिद्ध करता है और न **negligence**, **“high speed”** एक सापेक्ष अवधारणा है और अभियोजन को तथ्यात्मक सामग्री द्वारा यह दिखाना होता है कि उस विशेष परिस्थिति में वह गति या चलाने का ढंग किस प्रकार आपराधिक लापरवाही में परिणत हुआ।

28- उक्त सिद्धांत का वर्तमान मामले पर अनुप्रयोग किया जाये तो पाया जाता है कि अभियोजन की ओर से किसी गवाह ने ऐसा स्पष्ट, विशिष्ट और वस्तुनिष्ठ विवरण नहीं दिया जिससे यह स्थापित हो कि मोटरसाईकिल को किस प्रकार असावधानी, उतावलेपन या लापरवाही से चलाया गया। गवाह पी.डब्ल्यू.-1 धर्मराज ने तेज गति की बात मुख्य परीक्षण में कही अवश्य, परन्तु उसने स्वयं स्वीकार कर लिया कि वह घटनास्थल पर था ही नहीं। गवाह पी.डब्ल्यू.-2 नन्दकिशोर ने टक्कर लगना बताया, किन्तु उसने चालक को नहीं देखा और न ही उसने गति, दूरी, सड़क की स्थिति, वाहन का नियंत्रण, ब्रेक, ओवरटेक, **wrong side**, **horn**, **visibility** अथवा किसी अन्य विशिष्ट **negligent act** का वर्णन किया। गवाह पी.डब्ल्यू.-3 हेमराज ने तो दुर्घटना होते देखी ही नहीं। ऐसी दशा में अभिलेख पर **rashness** या **negligence** का वह स्तर स्थापित नहीं होता जो धारा 279 या 304ए के अपराध के लिए आवश्यक है।

29- माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Ravi Kapur v. State of**

Rajasthan, (2012) 9 **SCC** 284 में **rash** और **negligent act** के तत्वों पर विस्तार से विचार करते हुए कहा है कि **rashness** का तात्पर्य एक **overhasty act** से है, जबकि **negligence** वह है जिसमें विधि द्वारा अपेक्षित समुचित सावधानी का अभाव हो, परन्तु आपराधिक दायित्व के लिए ऐसी **rashness/negligence** को तथ्यात्मक साक्ष्य से सिद्ध करना आवश्यक है। माननीय न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि अपराध के घटक तत्वों की स्थापना अभियोजन द्वारा सुसंगत साक्ष्य से की जानी चाहिए।

30- इसी प्रकार **Jacob Mathew v. State of Punjab**, (2005) 6 **SCC** 1 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक **negligence** के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा कि **criminal negligence** का स्तर **civil negligence** से अधिक उच्च होता है; केवल साधारण लापरवाही या त्रुटि पर्याप्त नहीं, बल्कि ऐसा **gross** या **culpable neglect** होना चाहिए जो दण्डनीय हो। यद्यपि वह मामला चिकित्सकीय लापरवाही से संबंधित था, तथापि उसमें प्रतिपादित सिद्धांत कि आपराधिक **negligence** के लिए उच्चतर मानदण्ड अपेक्षित है, धारा 304ए के सामान्य सिद्धांत के रूप में व्यापक रूप से लागू किया जाता है।

31- यह भी ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन साक्ष्य में कारण-परिणाम संबंध (**causal link**) के दो स्तर हैं। पहला स्तर यह है कि महावीर की मृत्यु जिन चोटों से हुई, वे चोटें किसी सड़क दुर्घटना से आई थीं, यह स्तर चिकित्सकीय साक्ष्य से स्थापित है। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण स्तर यह है कि वे चोटें अभियुक्त गोपीलाल द्वारा चलाये गये वाहन की टक्कर से आईं और वह टक्कर अभियुक्त की **rash** या **negligent driving** का परिणाम थी। इसी दूसरे स्तर पर अभियोजन साक्ष्य विफल होती प्रतीत होती है। जब चालक की पहचान ही स्वतंत्र और प्रत्यक्ष साक्ष्य से सिद्ध नहीं है, तब उस चालक के आचरण का आपराधिक मूल्यांकन स्वतः अस्थिर हो जाता है।

32- गवाह पी.डब्ल्यू.-4 की मैकेनिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 से यह अवश्य दर्शित होता है कि वाहन में कोई आन्तरिक यांत्रिक खराबी नहीं थी और वह चालू हालत में था। परन्तु इस साक्ष्य का अभियोजन के लिए सीमित महत्व है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि वाहन अभियुक्त ही चला रहा था या उसने उसे **negligent** तरीके से चलाया। इसी प्रकार गवाह

पी.डब्ल्यू.-11 की विसरा संबंधी औपचारिक साक्ष्य, गवाह पी.डब्ल्यू.-6, पी.डब्ल्यू.-9 और पी.डब्ल्यू.-15 की पंचनामा/सुपुर्दगी संबंधी साक्ष्य, तथा गवाह पी.डब्ल्यू.-10 की जब्ती संबंधी साक्ष्य, सभी औपचारिक प्रकृति की हैं। ये साक्ष्य मृत्यु, शव कार्यवाही या वाहन जब्ती को तो समर्थन देती हैं, परन्तु अभियुक्त की आपराधिक संलिप्तता को निर्णायक रूप से स्थापित नहीं करतीं।

33- प्रस्तुत मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि तत्काल नियमित लिखित रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है और प्रारम्भ में पूरा प्रकरण मर्ग जांच से विकसित हुआ। यह तथ्य अपने आप में अभियोजन के विरुद्ध घातक नहीं कहा जा सकता, किन्तु जब प्रत्यक्ष पहचान एवं लापरवाही के अन्य स्वतंत्र साक्ष्य भी दुर्बल हों, तब न्यायालय संपूर्ण श्रृंखला को अधिक सावधानी से परखता है। गवाह पी.डब्ल्यू.-14 दुर्गाशंकर ने जिरह में स्वीकार किया कि प्रारम्भ में मर्ग दर्ज हुई, जयपुर से जीरो मर्ग प्राप्त हुई, और तत्काल नामजद नियमित एफ.आई.आर. थाना सदर पर दर्ज नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में बाद की जांच से प्राप्त प्रत्येक परिस्थिति को कठोर न्यायिक कसौटी पर परखा जाना अपेक्षित है।

34- माननीय उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न न्यायालयों ने अनेक अवसरों पर कहा है कि सड़क दुर्घटना के आपराधिक मामलों में न्यायालय को केवल दुर्घटना के परिणाम से प्रभावित होकर दोषसिद्धि नहीं करनी चाहिए। परिणाम चाहे कितना भी दुखद क्यों न हो, दोषसिद्धि केवल विधिसम्मत प्रमाण पर ही आधारित हो सकती है। यदि अभियोजन चालक की पहचान, वाहन संचालन के तरीके और आपराधिक **negligence** के विशिष्ट तत्व को सिद्ध नहीं कर पाता, तो न्यायालय अनुमान के आधार पर अभियुक्त को दोषी नहीं ठहरा सकता। **State of Karnataka v. Satish (supra)** में यही चेतावनी दी गई कि केवल **"high speed"** कह देने से आपराधिक **rashness** स्थापित नहीं होती। **Ravi Kapur (supra)** और **Jacob Mathew (supra)** के सिद्धांत भी इसी दिशा में संकेत करते हैं कि अपराध के प्रत्येक आवश्यक घटक का ठोस प्रमाण आवश्यक है।

35- इस न्यायालय की दृष्टि में वर्तमान प्रकरण में अभियोजन अधिकतम यह सिद्ध कर सका है कि महावीर के साथ एक सड़क दुर्घटना हुई और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। किन्तु अभियोजन यह संदेह से परे सिद्ध नहीं कर सका कि उक्त दुर्घटना के समय मोटरसाईकिल नम्बर

आर.जे.08 एस.एम.6638 अभियुक्त गोपीलाल चला रहा था। इसी प्रकार अभियोजन यह भी संदेह से परे सिद्ध नहीं कर सका कि वाहन का संचालन ऐसा था जिसे धारा 279 और 304ए भा.दं.सं. के अर्थ में दण्डनीय **rash** या **negligent driving** कहा जा सके। जब अपराध के ये मूल तत्व ही प्रमाणित नहीं हो सके, तो अभियुक्त की दोषसिद्धि न्यायिक रूप से सुरक्षित नहीं मानी जा सकती।

36- अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन का प्रकरण संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ है। चालक की पहचान संदिग्ध है, लापरवाही का विशिष्ट और विश्वसनीय प्रमाण अनुपस्थित है तथा धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम के उत्तरों को स्वतंत्र पुष्टिकरण के अभाव में दोषसिद्धि का सुरक्षित एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता। फलतः अभियुक्त गोपीलाल को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायसंगत है।

:: आदेश ::

37- अतः अभियुक्त गोपीलाल पुत्र मांगीलाल, उम्र 55 वर्ष, निवासी छापरदा, थाना गेण्डोली, जिला बून्दी (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279 एवं 304ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्त की नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर है जो सुपुर्ददार के पास रहे तथा वाहन का सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील निरस्त समझा जावे।

(डॉ. मनोज तिवारी)
अतिरिक्त मख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)

38- निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)